रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 1992/पौष 20, 1913
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 1992/PAUSA 20, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त, राजस्व और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1992

सा. का. नि. 39(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1978 का और संशोधन करने की निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम संक्षिप्त कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1992 है।

(2) इन नियमों का नियम 3क, 1 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त होगा और शेष उपबंध राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) में—

(क) प्रथम परन्तुक के पहले वाले खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :

"कोई भी कम्पनी ऐसे किसी भी निक्षेप का प्रतिग्रहण या नवीकरण नहीं करेगी जो मांग पर या सूचना पर या ऐसे निक्षेप के प्रतिग्रहण अथवा नवीकरण की तारीख से छः मास से कम की अवधि या छत्तीस मास से अधिक की अवधि के पश्चात् प्रति संदेय हो";

(ख) खंड (ग) में "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात् :

"तिमाही अंतरालों में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष :

परन्तु यह कि जहां ब्याज का संदाय तिमाही अंतरालों से कम अवधि किया जाता है वहां ब्याज की रकम में कटौती की जाएगी ताकि वह रकम तिमाही अंतरालों पर संगणित ब्याज की रकम से अधिक न हो;"

3. नियमों के नियम 3क में "10 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर "15 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

4. नियमों के नियम 8 में, स्पष्टीकरण के पहले वाले परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

"परन्तु यह और कि कंपनी जहां किसी जमाकर्ता को अपने निक्षेप का उस अवधि की समाप्ति के पूर्व जिसके लिए ऐसे निक्षेप का कंपनी द्वारा प्रतिग्रहण किया गया था, ब्याज की उच्चतर दर का लाभ उठाने के लिए नवीकरण कराने की अनुज्ञा देती है, वहां कंपनी उस जमाकर्ता को उच्चतर दर पर ब्याज का संदाय करेगी, यदि

(i) ऐसे निक्षेप का नवीकरण इन नियमों के अन्य उपबंधों के अनुसार और निक्षेप की अवसित अवधि से अधिक अवधि के लिए किया जाता है, और

(ii) निक्षेप के प्रतिग्रहण या नवीकरण के समय अनुबद्ध ब्याज की दर को निक्षेप की अवसित अवधि के लिए घटाकर एक प्रतिशत कम कर दिया जाता और उसका तदनुसार संदाय या रामायोजन किया जाता है या उसे वसूल किया जाता है"।

5. नियम के उपाबद्ध प्ररूप में :

(क) भाग 1 में

(i) मद 2 (ख) में प्रविष्टियों (vi), (vii) और (viii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :

"(vi) 13 प्रतिशत या अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम

(vii) 15 प्रतिशत पर

(viii) 15 प्रतिशत से अधिक";

(ii) मद 2 (ख) में प्रविष्टि (vi), प्रविष्टि (vii) और प्रविष्टि (viii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात

"(vi) 13 प्रतिशत या अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम

(vii) 15 प्रतिशत पर

(viii) 15 प्रतिशत से अधिक";

(ख) भाग-2 में, मद 1 (ख) में "उपर्युक्त का दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "उपर्युक्त का पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. 3/17/91 – सी एल – X]

साई. ए. राव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : कंपनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43 (अ) तारीख 3-2-1975 भारत का राजपत्र (असाधारण), तारीख 3-2-1975 के भाग II, धारा 3, उपधारा (i) तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :

(1) का आ. 524 (ई) तारीख 18-9-1975

(2) का. आ. 684 (ई) तारीख 29-11-1975

(3) सा.का. नि. 427 (ई) तारीख 29-6-1976

(4) सा.का. नि. 820 (ई) तारीख 24-9-1976

(5) सा.का. नि. 965 (ई) तारीख 29-12-1976

(6) सा.का. नि. 385 (ई) तारीख 17-6-1976

(7) सा.का. नि 386 (ई) तारीख 17-6-1977

(8) सा. का. नि. 421 (ई) तारीख 27-6-1977

(9) सा.का. नि 793 (ई) तारीख 20-12-1977

(10) सा.का. नि. 200 (ई) तारीख 30-3-1978

(11) सा.का. नि. 252 (ई) तारीख 27-4-1978

(12) सा.का. नि 341 (ई) तारीख 29-6-1976

(13) सा का. नि. 378 (ई) तारीख 17-7-1978

(14) सा.का. नि. 586 (ई) तारीख 21-12-1978

(15) सा.का. नि. 109 (ई) तारीख 21-3-1980

(16) सा.का. नि. 185 (ई) तारीख 1-4-1980

(17) सा.का. नि. 380 (ई) तारीख 24-6-1980

(18) सा.का. नि. 135 (ई) तारीख 18-7-1980

(19) सा.का. नि. 546 (ई) तारीख 24-9-1980

(20) सा.का. नि. 187 (ई) तारीख 20-3-1981

(21) सा.का. नि. 44 (ई) तारीख 12-1-1982

(22) सा.का. नि. 286(ई) तारीख 19-3-1985

(23) सा का. नि. 372 (ई) तारीख 19-4-1975

(24) सा.का. नि. 482 (ई) तारीख 5-6-1985

(25) सा.का. नि. 7 (अ) तारीख 2-1-1986

(26) सा.का. नि 358 (अ) तारीख 1-4-1987

(27) सा.का. नि 620 (अ) तारीख 1-7-1987

(28) सा.का. नि. 850 (अ) तारीख 12-10-1987

(29) सा.का. नि. 551 (अ) तारीख 7-6-1990

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1992

G.S.R. 39(E):—In exercise of the powers conferred by section 58 A read with section 642 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendement Rules, 1992.

(2) Rule 3-A of these rules shall come into force on the 1st day of April, 1992 and the remaining provisions shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 (hereinafter referred to as the Rules), in rule 3, in sub-rule (1),—

(a) for clauses (a) and (b) occurring before the first proviso, the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) no company shall accept or renew any deposit which is repayable on demand or on notice or after a period of less than six months or more than thirty six months from the date of acceptance or renewal of such d posits:";

(b) in clause (c), for the words "fourteen per cent per annum", the following shall be substituted, namely:—

"fifteen per cent per annum at quarterly rests:

Provided that where interest is paid at shorter than quarterly rests, the amount of interest shall be discounted so as not to exceed the amount of interest calculated at quarterly rests;".

3. In rule 3-A of the Rules, for the figures and words "10 per cent", the figures and words "15 per cent" shall be substituted.

4. In rule 8 of the Rules, after the proviso occurring before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namly :—

"Provided further that where a company permits a depositor to renew his deposit, before the expiry of the period for which such deposit was accepted by the company, for availing of the higher rate of interest, the company shall pay interest to such depositor at higher rate if—

(i) such deposit is renewed in accordance with the other provisions of these rules and for a period longer than the unexpired period of the deposit, and

(ii) the rate of interest as stipulated at the time of the acceptance or renewal of deposit is reduced by one per cent for the expired period of the deposit and is paid or adjusted or recovered accordingly.".

5. In the Form annexed to the Rules,—

(a) in part-1,—

(i) in item 2(b), for entries (vi), (vii) and (viii), the following entries shall be substituted, namely :—

"(vi) 13% or more but less than 15%
(vii) at 15%
(viii) more than 15%";

(ii) in item 4(b), for entries (vi), (vii) and (viii), the following entries shall be substituted, namely:—

"(vi) 13% or more but less than 15%
(vii) at 15%
(viii) more than 15%";

(b) in part-2, in item 1(b), for the words "Ten per cent of the above", the word "Fifteen per cent of the above" shall be substituted.

[File No. 3/17/91—CL X]
Y.A. RAO, Jt. Secy.

NOTE : The Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975—published vide Notification No. G.S.R. 43(E) dated 3-2-1975, Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 3-2-1975, subsequently amended by Notification No.:

(i) S.O. 524 (E) dated 18-9-1975
(ii) S.O. 684(E) dated 29-11-1975
(iii) G.S.R. 427 (E) dated 29-6-1976
(iv) G.S.R. 820 (E) dated 24-9-1976
(v) G.S.R. 965(E) dated 29-12-1976
(vi) G.S.R. 385(E) dated 17-6-1977
(vii) G.S.R. 386(E) dated 17-6-1977
(viii) G.S.R. 424(E) dated 27-6-1977
(ix) G.S.R. 793(E) dated 20-12-1977
(x) G.S.R. 200(E) dated 30-3-1978
(xi) G.S.R. 252(E) dated 27-4-1978
(xii) G.S.R. 341(E) dated 29-6-1978
(xiii) G.S.R. 378(E) dated 17-7-1978
(xiv) G.S.R. 586(E) dated 21-12-1978
(xv) G.S.R. 109(E) dated 21-3-1980
(xvi) G.S.R. 185(E) dated 1-4-1980
(xvii) G.S.R. 380(E) dated 24-6-1980
(xviii) G.S.R. 435(E) dated 18-7-1980
(xix) G.S.R. 546(E) dated 24-9-1980
(xx) G.S.R. 187(E) dated 20-3-1981
(xxi) G.S.R. 44(E) dated 12-1-1982
(xxii) G.S.R. 286(E) dated 19-3-1985
(xxiii) G.S.R. 372(E) dated 19-4-1985
(xxiv) G.S.R. 482(E) dated 5-6-1985
(xxv) G.S.R. 7(E) dated 2-1-1986
(xxvi) G.S.R. 358(E) dated 1-4-1987
(xxvii) G.S.R. 620(E) dated 1-7-1987
(xxviii) G.S.R. 850(E) dated 12-10-1987
(xxix) G.S.R. 551(E) dated 7-6-1990

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1992